प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 16 जून, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31014/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-08.12.2020) दिनांक-17.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, ग्राम-लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 03.11.2000 की सुबह जगपाल पुत्र श्री दिलीप को अज्ञात लोगों ने गांव से काफी दूर रास्ते में कत्ल कर दिया गया था। बंदी ने इसी रंजिश में 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी की देवरानी सुन्दरी व उसके दोनों बच्चें कुमारी लक्ष्मी व पुत्र कार्तिक उर्फ छोटू एवं वादिनी की सास श्रीमती राजवीरी सहित 04 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-740/2001 भा0द0सं0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.11.2020 तक 20 वर्ष 00 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध एक संगीन अपराध होने, जो व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने व सामूहिक हत्या किये जाने, बन्दी के रिहा होने पर पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, गांव में पार्टी बन्दी के कारण घटना को लेकर विपक्षीगणों से तनाव होने, रिहा होने पर कोई भी घटना घटित होने, बन्दी की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने के कारण बन्दी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 03.11.2000 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 महिला एवं 02 बच्चों सहित कुल 04 हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किये जाने के कारण बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-7630) पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर रिहाई श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-100/2021/1262(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-100/2021/1262/22-2-2020-17(316)/2017

दिनांक 16 जून, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, ग्राम-लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 03.11.2000 की सुबह जगपाल पुत्र श्री दिलीप को अज्ञात लोगों ने गांव से काफी दूर रास्ते में कत्ल कर दिया गया था। बंदी ने इसी रंजिश में 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी की देवरानी सुन्दरी व उसके दोनों बच्चें कुमारी लक्ष्मी व पुत्र कार्तिक उर्फ छोटू एवं वादिनी की सास श्रीमती राजवीरी सहित 04 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-740/2001 भा0द0सं0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.11.2020 तक 20 वर्ष 00 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध एक संगीन अपराध होने, जो व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने व सामूहिक हत्या किये जाने, बन्दी के रिहा होने पर पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, गांव में पार्टी बन्दी के कारण घटना को लेकर विपक्षीगणों से तनाव होने, रिहा होने पर कोई भी घटना घटित होने, बन्दी की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने के कारण बन्दी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 03.11.2000 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 महिला एवं 02 बच्चों सहित कुल 04 हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किये जाने के कारण बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in